

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 401] नई दिल्ली: सोमवार, जुलाई 10, 1995/आषाढ़ 19, 1917  
No. 401] NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1995/ASADHA 19, 1917

मानव ससाधन विकास मन्त्रालय  
(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1995

हा. आ. 620(अ).—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन.डी.आर. दिनांक 1 जुलाई, 1995 वह विधि निम्नलिखित करती है जिस तालिका में उक्त अधिनियम लागू होगा।

[म. 61-37/94-डिस्क (टी.ई.)]

डा. मार.वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

1666GI/95.

(1)